

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश संख्या-01/स्था०विविध०-212/2024-115 पटना, दिनांक- 05 अगस्त, 2025

कार्यालय आदेश

गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत सभी नियमित पदाधिकारी एवं कर्मों अवकाश हेतु आवेदन (विशेषावकाश को छोड़कर) HRMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारी/कर्मों अवकाश हेतु आवेदन हार्ड कॉपी में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

2. विभाग अंतर्गत सभी नियमित पदाधिकारी/कर्मियों का अवकाश HRMS के माध्यम से उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के स्तर पर Approve किया जायेगा।

3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे।

4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

Handwritten signature
05/08/2025

(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 1159.

पटना, दिनांक 05 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि:- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुलिपिक/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
05/08/2025
अवर सचिव।